इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2019—ज्येष्ठ 10, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 14 मई 2019

सूचना

No. A-1270.— मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 एवं 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करता है, उक्त संहिता की धारा 122 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने पर या उसके पूर्व रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को प्राप्त हो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(4) कोई व्यक्ति जो विधिक सहायता अधिकारी है या रहा हो."

NOTICE

No. A-1270.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016, which the High Court of Madhya Pradesh, hereby, proposes to make in exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India read with Section 122 and Section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908, is hereby published as required by Section 122 of the said code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendments by the Registrar General, Madhya Pradesh High Court, Jabalpur on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the Madhya Pradesh High Court, namely :—

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely :—

"(4) A person who is or has been a Legal Aid Officer.".

राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2019

क्रमांक एफ 1-10-2001-पैंतालीस.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विमानन विभाग (राजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, भाग-चार में, नियम 14 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) सरकार, उप नियम (2) के अधीन आयुक्त की अनुशंसा पर एक पदोन्नति समिति का गठन करेगी, जो प्रमुख सचिव अथवा सचिव (गृह), प्रमुख सचिव अथवा उप सचिव (विमानन), आयुक्त, विमानन, संचालक, विमानन से मिलकर बनेगी तथा उस सेवा के विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित करेगी. पदोन्नति समिति, पदोन्नति प्रस्ताव पर विचार करेगी और प्रमुख सचिव, विमानन विभाग को अपनी अनुशंसा से अवगत कराएगी. सरकार, समिति की अनुशंसा अनुसार पदोन्नति देने हेतु अंतिम निर्णय लेगी."

F-1-10-2001-XLV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Aviation Department (Gazetted-Technical) Service Recruitment and Service Condition Rule, 2003, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Part-IV, in rule 14 for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3), On the recommendation of the Commissioner under sub-rule (2), the Government shall constitute a promotion committee comprising of Principal Secretary or Secretary (Home), Principal Secretary or Deputy Secretary (Aviation), Commissioner of Aviation, Director of Aviation and invite a subject expert of the service. The Promotion Committee shall consider the promotion proposal and shall apprise the Principal Secretary Aviation Department with is recommendations. The Government shall take a final decision for giving promotion in accordance with the recommendation of Committee."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकान्त कश्यप, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.